



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ.9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9/12/1977



GSTIN-23AAAAU0051C1ZB

PAN No. AAAAU0051C

श्रमिक/सेवा प्रदाता फर्म कार्य हेतु प्रथम ई-निविदा आमंत्रण

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा उच्च कुशल, / कुशल / अर्द्धकुशल / अकुशल श्रमिक/सेवा प्रदाता फर्म हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं वित्तीय रूप से सक्षम) निविदाकार इस कार्य के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट WWW.Sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते हैं। श्रमिक/सेवा प्रदाता फर्म की नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 12.09.2026 को www.mptenders.gov.in से रु.1000/- के क्रय मूल्य पर समय दोपहर 12:00 बजे से
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 05.10.2026 समय दोपहर 03:00 बजे तक
3.	ई-निविदा ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 06.10.2026 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु. 16,00,000/- (राशि रु. सौलह लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकार को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर निविदा प्रपत्र में श्रमिक/सेवा प्रदाता कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई-निविदा प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर निविदा प्रपत्र रु 1000/- ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् श्रमिक/सर्विस प्रोवाइडर ठेकेदार नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

श्रमिक/सेवा प्रदाता फर्म की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर श्रमिक/सेवा प्रदाता फर्म का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष कर कुल दो वर्ष हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल www.mptenders.gov.in प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

श्रमिक / सेवा प्रदाता फर्म कार्य हेतु निविदा प्रपत्र
वर्ष 2026—29



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ.9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9/12/1977



GSTIN-23AAAAU0051C1ZB

PAN No. AAAAU0051C

श्रमिक/सेवा प्रदाता फर्म कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय | दिनांक 12.09.2026 को www.mptenders.gov.in से समय दोपहर 12:00 बजे से |
| 2 | ई-निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 05.10.2026 दोपहर समय 03:00 बजे तक |
| 3 | तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान | दिनांक 06.10.2026 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में |
| 4 | निविदा के साथ जमा की जाने वाली बयाना (ई.एम.डी.) राशि | रु. 16,00,000/- (सौलह लाख मात्र) ऑनलाईन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से |
| 5 | श्रमिक ठेका कार्य हेतु "आवश्यक अर्हताएँ" का प्रारूप | प्रपत्र 01 |
| 6 | श्रमिक ठेका कार्य की सामान्य शर्तें | प्रपत्र 02 |
| 7 | "भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप | प्रपत्र 03 |

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरान्त ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्कैन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में उज्जैन दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
- निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु संपर्क अधिकारी:-

सी.पी. दाहिया, प्रभारी (प्रशासन)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र. 456010

फोन नं.-0734-2527068, E-Mail ID-admin.uds@sanchidairy.com



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ.9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)

म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9/12/1977



GSTIN-23AAAAU0051C1ZB

PAN No. AAAAU0051C

प्रपत्र क्र.1

आवश्यक अनिवार्य अर्हताएँ

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
उज्जैन।

महोदय,

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक/सेवा प्रदाता फर्म कार्य हेतु दिनांक.....को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)		निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) अंकित करें।
1.1	एकल स्वामित्व/भागीदारी) कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोप्राईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
1.2	(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) के स्थापना/ इन-कॉर्पोरेशन पंजीयन की प्रति।		तदाशय के स्थापना की प्रति/ इन-कॉर्पोरेशन प्रमाण-पत्र की प्रति एवं पार्टनरशिप (फर्म/कम्पनी) होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की प्रति संलग्न करें।
1.3	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.4	निविदाकार का श्रमिक ठेका संबंधी जीवित/वैध लायसेंस क्रमांक		श्रम विभाग का पत्र/प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
1.5	निविदाकार का जीएसटी एवं पेन नम्बर		जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं पेनकार्ड की प्रति संलग्न करें।
1.6	कर्मचारी भविष्य निधि कोड नम्बर		कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।
1.7	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नम्बर		कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।

1.8	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) का जीएसटी होना अनिवार्य हैं।		तदाशय के जीएसटी नंबर की प्रति संलग्न करें।
1.9	वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रु. 08 करोड़ प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं।		तदाशय का चार्टर्ड अंकाउटेंट से सत्यापित वित्तीय पत्रक, Profit & Loss A/c की प्रति एवं ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी ए/3 सी बी जो भी लागू हो) एवं 3 सी डी।
1.10	प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था में गत 03 वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में ठेके पर श्रमिक/सर्विस प्रोवाइडर प्रदाय किये हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम 250 श्रमिक प्रदाय किये हो। (संस्था का नाम व पता जहां श्रमिक प्रदाय किये गये हैं।)		नियोक्ता के कार्यादेश की प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक वर्ष के किसी एक माह के भुगतान प्राप्ति का सत्यापित पत्रक।
1.11	वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का आयकर रिटर्न दाखिल होना आवश्यक हैं।		तदाशय के आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
1.12	भविष्य निधि अंशदान शत-प्रतिशत जमा होने का प्रमाण पत्र।		वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में जमा कराए गए ई.पी.एफ. राशि के चालानों की सत्यापित छायाप्रति।
1.13	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत-प्रतिशत जमा होने का प्रमाण पत्र		वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में जमा कराए गए ई.एस. आई. राशि के चालानों की छायाप्रति।
1.14	कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय/पुलिस थाने में दर्ज किसी आपराधिक प्रकरण के तारतम्य में सक्षम न्यायालय में पेश चालान/चार्जशीट में दोषी नहीं पाए जाने का शपथ पत्र		नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु. 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)। शपथ पत्र का प्रारूप प्रदर्श 02 पर अवलोकन करें।
1.15	क्या निविदाकार का उज्जैन शहर में कार्यालय हैं।		यदि हां, तो पूर्ण विवरण देवे।
1.16	क्या आपकी संस्था उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी हैं अथवा कर रही हैं।		यदि हां, तो पूर्ण विवरण देवे।
1.17	क्या आपकी संस्था एमपीसीडीएफ/इंदौर/भोपाल/ ग्वालियर/बुंदेलखण्ड/जबलपुर सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं हैं।		नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु. 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)। शपथ पत्र का प्रारूप प्रदर्श 03 पर अवलोकन करें।
1.18	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया हैं।		यदि हां, तो पूर्ण विवरण देवे।
1.19	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी. एफ./दुग्ध संघ द्वारा पूर्व के तीन वित्तीय वर्ष (2023-24, 2024-25, 2025-26) में काली सूची में नामांकित किया गया हैं।		काली सूची में नामांकित नहीं किया गया हैं, इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु.100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)। शपथ पत्र का

1.20	बयाना राशि (ई.एम.डी.) मात्र RTGS द्वारा जमा मान्य	प्रारूप प्रदर्श 04 पर अवलोकन करें। निर्धारित अनुसार राशि रु. 16,00,000 /— (रुपये सौलह लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करायी गयी।
------	---	--

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को स्वप्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाईन रूप से स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य है।
(2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएँ अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता : _____

टेलीफोन नं. _____

मोबाईल नं _____

श्रमिक/सेवा प्रदाता फर्म कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें :-

1. निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी प्लांट/दुग्ध शीतकेन्द्रों में प्रतिदिन निविदा प्रपत्र के प्रदर्श क्रमांक 05 में दर्शाए गए श्रमिकों की संख्या के अनुसार श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा। कार्य की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की संख्या समय-समय पर अनुबंध अवधि में घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। सफल निविदाकार द्वारा सर्विस प्रोवाइडर/लिपिकीय/तकनीकी वर्ग/उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों व लिपिकीय सेवाकर्म एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदाय किये जाना होगा। सर्विस प्रोवाइडर/लिपिकीय अमले को दुग्ध संघ द्वारा जो भी कार्य आवंटित किया जाता है यदि उनके द्वारा कर्तव्य के दौरान क्षति या हानि होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार/निविदाकार से की जाएगी। इसलिए सर्विस प्रोवाइडर/श्रमिक से ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर शपथ पत्र लेकर रखना अनिवार्य होगा। जिसे मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. सफल निविदाकार को प्रबंधन की आवश्यकता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी दुग्ध शीतकेन्द्रों द्वारा ठेकेदार को यथासमय सूचना दी जाएगी। ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिक की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित नहीं हो। आवश्यकता होने पर श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी ठेकेदार को सुनिश्चित करनी होगी। यदि आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की व्यवस्था व प्रशिक्षण कराने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार के देय भुगतान से वसूल की जाएगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जाएगी।
3. श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु नियोजित श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो, 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए।
4. प्रबंध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षा कर्मियों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यअवधि प्रातः 6:00 बजे से सायं 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला सुरक्षाकर्मियों को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
5. म.प्र. राज्य के MSME उद्यमियों को भी ईएमडी राशि का भुगतान जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु MSME उद्यमियों को उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बीड के साथ अपलोड किया जाना होगा। ई-निविदा में सफल होने वाले अन्य राज्यों के MSME उद्यमियों को कोई छूट नहीं दी जायेगी। कार्यादेश जारी होने एवं अनुबंध निष्पादन होने के पश्चात् ईएमडी राशि रिफंड कर दी जावेगी।
6. बिना ईएमडी राशि के प्रस्तुत ई-निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। ईएमडी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा निविदा अस्वीकृत होने पर ई-निविदा के नियमों के तहत ईएमडी राशि वापसी योग्य होगी।
7. सुरक्षा निधि राशि-निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को बतौर सुरक्षा निधि राशि रु. 50,00,000/- (अक्षरी पचास लाख मात्र) बैंक रसीद के माध्यम से उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, में जमा करना होगा। दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जाएगा। ई.एम.डी. राशि का सुरक्षा निधि राशि में समायोजन किया जाएगा।
8. निविदा खुलने के पश्चात एवं निविदा की दर वैधता की अवधि में निविदाकार द्वारा निविदा में संशोधन किए जाने पर जो कि दुग्ध संघ को स्वीकार नहीं हैं। ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जाएगी।
9. सुरक्षा निधि राशि ठेका समाप्त होने के पश्चात श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र के समस्त शाखाओं, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त ठेका श्रमिकों का सम्पूर्ण ईपीएफ अंशदान, ईएसआई अंशदान एवं जीएसटी राशि विधिवत आदि देय राशि पूर्ण रूप से जमा होने का प्रमाण दिए जाने पर ही वापस की जावेगी।

10. उक्त के अतिरिक्त दुग्ध संघ से लेनदारी-देनदारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को दिए जाने के पश्चात ही उसकी दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि वापसी योग्य होगी।
11. निविदाकार के संबंध में दुग्ध संघ प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिए गए संदर्भ के परिपेक्ष्य में संबंधित निकायों/विभागों/उपक्रमों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छिपाने का प्रयास किया है तो उसका ठेका अनुबंध अवधि में किसी भी समय समाप्त किया जाएगा जो कि सफल निविदाकार (श्रमिक ठेकेदार) पर पूर्ण रूप से बंधनकारी होगा।
12. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, दुग्ध संघों/एमपीसीडीएफ के संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को श्रमिक ठेका प्रदान नहीं किया जाएगा।
13. एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अथवा उस पर निर्भर परिवार के सदस्य निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं हैं।
14. यदि किसी निविदाकार द्वारा वित्तीय बिड में शून्य प्रतिशत सर्विस चार्ज अर्थात् 0.01 से 0.99 या दशमलव में किसी भी अंक तक अंकित किया जाता है तो ऐसे निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा एवं निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
15. यदि सफल निविदाकार (श्रमिक ठेकेदार) का मुख्यालय उज्जैन शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो श्रमिक ठेका कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस के अंदर उसे उज्जैन शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता दुग्ध संघ को देना होगा ताकि प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सकें। अन्यथा की स्थिति में उसकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
16. प्रत्येक पाली में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को सम्पूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सकें एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सकें। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो रुपये एक हजार प्रति पाली का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाएगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किए गए कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
17. सफल निविदाकार (श्रमिक ठेकेदार) को दुग्ध संघ प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाईम ऑफिस रिकार्ड रखने के लिए उत्तरदायी होगा साथ ही श्रमिक ठेकेदार को मुख्य डेयरी संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय/टाईम ऑफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों की उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पाली में प्रदाय किए जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा दुग्ध संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मांगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिक ठेकेदार उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे, किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर श्रमिक ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
18. श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर एवं उज्जैन द्वारा समय-समय पर निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि का भुगतान लगाए गए श्रमिकों के मानव दिवस (Man Days) के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
19. सफल निविदाकार (श्रमिक ठेकेदार) को कार्य हेतु दुग्ध संघ प्रबंधन संघ परिसर में उचित स्थान उपलब्ध कराएंगे। दुग्ध संघ द्वारा बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्निचर प्रदाय किया जाएगा।
20. अनुबंध अवधि में श्रमिक ठेकेदार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्य पर नहीं ले सकेंगे साथ ही ठेका श्रमिक, सुरक्षा ठेका के अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे।
21. निविदाकार द्वारा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

22. यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटिवश अथवा झूठी जानकारी दी जाती है तो उसकी निविदा अमान्य होगी एवं निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत करने पर ऐसी निविदा को अमान्य किया जाएगा।
23. अनुबंध अवधि में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता है। यदि परिस्थितियां/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा।
24. अनुबंध अवधि में यदि यह ज्ञात होता है कि श्रमिक ठेकेदार को पूर्व में किसी भी संस्था द्वारा ब्लेकलिस्ट किया गया है अथवा अनुबंध अवधि में यह ज्ञात होता है कि श्रमिक ठेकेदार को पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) में किसी भी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्ट किया गया तो ऐसी स्थिति में श्रमिक ठेकेदार की सुरक्षा निधि एवं ईएमडी राशि राजसात की जाएगी।
25. दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा एमपीसीडीएफ एवं प्रदेश के सभी सहकारी दुग्ध संघों भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड/जबलपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही सफल निविदाकार (एल-1) को कार्य आदेश जारी किया जाएगा। यदि उक्त संस्थाओं द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सफल निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
26. इसी प्रकार सफल निविदाकार द्वारा किसी अन्य प्राइवेट अथवा शासकीय संस्थाओं में ठेका संचालित किया जा रहा है अथवा किया गया है तो उसे कार्यदेश प्राप्त करने के पूर्व दुग्ध संघ प्रबंधन को लिखित में जानकारी देनी होगी। दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा संबंधित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा तदुपरांत ही कार्यदेश जारी किया जाएगा। यदि उक्त संस्थाओं द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सफल निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
27. किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
28. निविदा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा कार्यदेश दिए जाने की स्थिति में सफल निविदाकार को एक माह की समयसीमा में कार्य प्रारंभ नहीं करने/सुरक्षा निधि राशि जमा नहीं करने/अनुबंध नहीं करने पर उसकी दुग्ध संघ में जमा ईएमडी राशि राजसात कर ली जाएगी।
29. प्रतिभागी निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व दुग्ध संघ परिसर का भ्रमण कर सकते हैं।
30. सफल निविदाकार की अनुबंध अवधि तीन वर्षों हेतु प्रभावशील होगी। तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात कार्य संतोषप्रद होने पर एक-एक वर्ष कर कुल दो वर्षों हेतु आपसी सहमति से पूर्व में अनुमोदित दरों व अनुबंध की समान शर्तों पर अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
31. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सफल निविदाकार को दुग्ध संघ से अनुबंध पत्र का प्रारूप प्राप्त करना होगा। जिसे सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
32. अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत किसी भी वाद-विवाद के संबंध में सभी वैधानिक कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकार उज्जैन स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।
33. प्रतिभागी निविदाकार यदि मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों के दुग्ध संघ एवं म.प्र. के एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों में श्रमिक ठेकेदार के रूप में कार्यरत है अथवा उसके द्वारा पूर्व में कभी भी कार्य किया गया है तो उसे निविदा के साथ संबंधित संस्थानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसकी निविदा अमान्य होगी।
34. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें (टाई ब्रेकिंग नियम) प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।
35. सुरक्षा ठेका प्रदाता फर्म ठेका श्रमिक फर्म की ई-निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

36. ठेके पर श्रमिककर्मों रखे जाने हेतु सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार के लिए नियम व शर्तें

- 36.1 प्रत्येक माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिक की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।
- 36.2 प्रदाय किए गए श्रमिक, श्रमिक ठेकेदार के कर्मचारी होंगे वे उज्जैन दुग्ध संघ के कर्मचारी नहीं होंगे।
- 36.3 श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध अवधि में निविदा में स्वीकृत दर के अनुसार ही रहेगी।
- 36.4 श्रमिक ठेकेदार अनुबंध अवधि न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा, न ही निविदा को Sublet कर सकेगा एवं न ही ठेके को हस्तांतरित कर सकेगा। यदि अनुबंध अवधि में किसी भी समय उक्त में से किसी भी प्रकार की शिकायत सही पाई जाती है तो ऐसी निविदा निरस्त कर ठेकेदार की सुरक्षा निधि राजसात कर उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जाएगा।

37. श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य संपादन हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं दायित्व –

- 37.1 उज्जैन डेयरी प्लांट परिसर/संबद्ध दुग्ध शीतकेन्द्रों में केन/क्रेट/ढक्कन की चोरी, पिलफ्रेज किसी भी प्रकार की संपत्ति की चोरी न हो इसकी जवाबदारी हेतु विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी।
- क. केन/क्रेट/ढक्कन निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डेयरी डॉक, स्टोर या स्टोर डॉक) व्यवस्थित रूप से रखी जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण निगरानी श्रमिक ठेकेदार व सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं बिना गेटपास या इण्डेंट/रिटर्न स्लीप से कोई भी सामान/क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डेयरी डॉक से या स्टोर से बाहर नहीं ले जाया जाए एवं न ही अन्य प्रायोजनों में उपयोग में लाया जाए।
- ख. केन/क्रेट/ढक्कन की गणना करते समय श्रमिक ठेकेदार को सूचित किया जाएगा इस हेतु उन्हें अपना प्रतिनिधि देना अनिवार्य हैं एवं संबंधित डॉक/स्टोर पर गणना के समय सभी प्रकार की टूटी-फूटी क्रेट/ढक्कन/केन सम्मिलित किए जाएंगे।
- ग. डेयरी डॉक से केन/क्रेट/ढक्कन, डेयरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु श्रमिक ठेकेदार के प्रतिनिधि विपणन शाखा तथा उत्पादन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होंगे। एक रजिस्टर विपणन शाखा के कर्मचारी तथा एक रजिस्टर उत्पादन शाखा के कर्मचारी द्वारा रखा जाएगा। (क्रेट एनकाउंटर रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर रखा जाएगा। उपरोक्त बाहर गए केन/क्रेट/ढक्कन, डेयरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किए जाएंगे। साथ ही डेयरी प्लांट में केन/क्रेट/ढक्कन की वापसी रिकार्ड विपणन एवं संयंत्र शाखा अपने रिकार्ड में रखेंगे। इन्द्राज अंकों एवं शब्दों में दोनों ही तरीकों से अंकित होंगे। संबंधित पक्ष अपने पूर्ण हस्ताक्षर मय दिनांक के करेंगे।
- 37.2 श्रमिक ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टोर एवं उसके अन्दर या बाहर रखी सामग्री को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे अन्यथा आर्थिक दण्ड दुग्ध संघ प्रबंधन के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।
- 37.3 प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।
- 37.4 श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाए गए श्रमिक ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा व शर्तों का पालन करते हुए कार्य करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन की सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त करने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से ठेकेदार की होगी। दोषी पाए गए श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक, प्रतिदिन राशि रु.1000/-का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जाएगा। जिसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयकों से की जाएगी। यदि

ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जाएगा तथा उसकी दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जाएगी।

- 37.5 मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों/कार्यालयीन परिसरों में मदिरापान/धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाखू इत्यादि का उपयोग करते हुए पाए जाने पर श्रमिक ठेकेदार के उपर रु.500/-प्रति श्रमिक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति पाए जाने की स्थिति में श्रमिक को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जाएगा।
- 37.6 श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, छाता, काला चश्मा पहनकर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा रु.100/-प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।
- 37.7 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में कार्य स्थल पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- 37.8 श्रमिकों द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाए जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर श्रमिक ठेकेदार को उक्त श्रमिकों से उनका परिचय पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं के पास रखना होगा एवं आवश्यकता होने पर दुग्ध संघ में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- 37.9 श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी श्रमिक से गलती से या असावधानी से संघ की संपत्ति/मशीनरी/उपकरणों की क्षति/टूट-फूट/नुकसान होने पर मरम्मत अथवा नुकसान की लागत श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।
- 37.10 सफल निविदाकार द्वारा दुग्ध संघ में उपलब्ध कराए गए ठेका श्रमिकों से इस आशय का घोषणा पत्र उपलब्ध कराएंगे कि दुग्ध संघ के समस्त गोपनीय जानकारियां यथा नोटशीट, देनदिन कार्य विवरण, ई-मेल, पासवर्ड व अन्य समस्त कार्यालयीन उपयोग में आने वाले गोपनीय दस्तावेजों का प्रकटण किन्ही भी परिस्थितियों में तीसरे पक्ष को नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो ठेका श्रमिक/फर्म को ब्लेक लिस्ट कर काली सूची में नाम दर्ज कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जवाबदेही निविदाकार की रहेगी।
- 37.11 सफल निविदाकार फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि इस समझौते/निविदा प्रपत्र के किन्ही भी शर्तों के उल्लंघन लापरवाही या किसी गलत कार्य के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, हानि, दावा, देनदारियां, खर्चों या लागत से सुरक्षित रखेगी एवं कमी पाए जाने पर उसकी भरपाई करेगी।

38. उपलब्ध श्रमिक कर्मियों के लिए नियम व शर्तें—

- 38.1 प्रत्येक श्रमिक के लिए 8 घण्टे का कार्य अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाए गए श्रमिक कार्य के दौरान अनुशासित रहेगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा।
- 38.2 संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बॉटल, बेग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा। अन्यथा रु.100/-प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जाएगा।
- 38.3 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मिनी डेयरी संयंत्र अथवा दुग्ध शीतकेन्द्र पर श्रमिकों की ड्यूटी शिफ्ट में कार्य सुविधा एवं मांग अनुसार लगाई जाती है इसके अतिरिक्त शासकीय अवकाश एवं त्यौहार पर भी मांग के अनुसार कार्य के सुचारु संचालन हेतु श्रमिक उपलब्ध कराए जाने होंगे। उपरोक्त अवकाश दिवस में अतिरिक्त श्रमिक उपलब्ध कराने पर अनुमोदित दरों पर ही भुगतान किया जाएगा।

39. श्रमिकों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान संबंधी शर्त —

- 39.1 श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक माह की 07 तारीख पूर्व स्वयं के वित्तीय संसाधनों से श्रमिकों को वेतन भुगतान करना होगा, एवं इसी माह की 20 तारीख अथवा उसके पूर्व तक गत माह किये गये कार्यों/लगाये श्रमिकों का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर शाखावार सत्यापित बिल, सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजारी रूप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा, देयकों के साथ मुख्य पत्र (क्वॉरिंग लेटर) प्रस्तुत

करना जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक हैं। ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये प्रस्तुत किया जाता है तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 30 तारीख के पूर्व प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में **(बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रदर्श 01 के अनुसार)** ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य हैं, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैं। श्रमिकों के परिश्रामिक के भुगतान हेतु कोई अग्रिम राशि दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जावेगा। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर देयक राशि का 25 प्रतिशत आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय नाम, उपनाम, पिता का नाम, ईपीएफ नं., यूएन नं., ईएसआई नं. एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।

श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता हैं, तो दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का श्रमिकों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता हैं (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता हैं) तो उसकी पूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

श्रमिक ठेकेदार द्वारा ई.पी.एफ., ई.एस.आई. व जीएसटी के जमा चालानों के साथ ठेका श्रमिक की सत्यापित सूची जमा किये जाने के उपरांत ही देयकों का भुगतान किया जायेगा। किसी भी स्थिति में देयक के विरुद्ध अग्रिम प्रदान नहीं किया जायेगा।

- 39.2 श्रमिकों का ईपीएफ, ईएसआई, सुरक्षा कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत करने की सम्पूर्ण जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौत समय पर जमा करने की जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
- 39.3 श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से जमा की गई राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को कर दिया जाएगा।
- 39.4 श्रमिक ठेकेदार को श्रम नियमानुसार श्रमिकों को सप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश के ओव्हर टाइम, बोनस इत्यादि का भुगतान करना होगा।
- 39.5 श्रमिकों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि श्रमिक ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि श्रमिक ठेकेदार की सुरक्षा निधि राशि से या देय योग्य राशि में से दुग्ध संघ श्रमिक ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या अधिक राशि होगी तो श्रमिक ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भांति वसूल की जाएगी।
- 39.6 श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी श्रमिकों को बैंक अंकाउट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक अंकाउट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटीपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। प्रबंधन इस संबंध में जवाबदार नहीं होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों को बैंक खाते खुलवाकर दुग्ध संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जाएगी।
- 39.7 श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रमिक ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जाएगी, अन्यथा आर्थिक दण्ड रु.1000/-प्रतिमाह अधिरोपित होगा।

- 39.8 श्रमिक ठेकेदार के देयकों से आयकर का कटौती लागू दरों के अनुसार किया जावेगा एवं उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर के लिए टीडीएस का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- 39.9 श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरुद्ध नियमानुसार जमा योग्य राशि जीएसटी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध संघ स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानिक समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा की स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु. 50000/-प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
- 39.10 श्रमिक ठेकेदार को देयक प्रतिमाह के 20 तारीख के पूर्व दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 39.11 सफल निविदाकार फर्म को E Invoice जमा करना अनिवार्य होगा।

40 कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए श्रमिकों के संबंध में श्रमिक ठेकेदार के दायित्व—

- 40.1 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए समस्त श्रमिकों के परिचय पत्र श्रमिकों के कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में श्रमिक ठेकेदार को अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ में उपलब्ध कराने होंगे एवं श्रमिकों का पुलिस वेरिफिकेशन कार्य में रखे जाने के पूर्व कराया जाना अनिवार्य हैं। आवश्यकता होने पर श्रमिकों से संबंधित दस्तावेज जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड व अन्य वांछित दस्तावेज प्रबंधन के समक्ष श्रमिक ठेकेदार को प्रस्तुत करने होंगे।
- 40.2 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए समस्त श्रमिकों के हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड इत्यादि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना उसे अनिवार्य होगा एवं व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय-समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा व दुग्ध संघ द्वारा मांग करने के स्थिति में उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 40.3 श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह में, श्रमिक ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए समस्त श्रमिकों (पुरुष एवं महिला) को प्रतिवर्ष एक निश्चित रंग की दो गणवेश (शर्ट, पैंट, एक जोड़ी जूते इत्यादि) अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो रु.100/-प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जाएगा। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त श्रमिकों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं किया जाता है तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति श्रमिक राशि रु.1500/-के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जाएगी तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने समस्त श्रमिकों को गणवेश प्रदाय किए जाने के पश्चात ही उक्त राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को किया जा सकेगा।
- 40.4 निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिकों का ईएसआई कार्ड बनवाकर कार्यादेश दिनांक से या नियुक्ति दिनांक से एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाए जाने पर प्रत्येक श्रमिक राशि रु.1000/-तक की पेनल्टी श्रमिक ठेकेदार पर लगाई जाएगी। यदि श्रमिक ठेकेदार उज्जैन शहर से बाहर के हैं तो उन्हें अनुबंध के उपरान्त कर्मचारी राज्य बीमा उज्जैन कार्यालय का Subcode तत्काल लेना आवश्यक होगा जिससे की श्रमिकों के दुर्घटना ग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ उसे प्राप्त हो सकें तथा चिकित्सा अवकाश की अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिक ठेकेदार के द्वारा किया जाना होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौती श्रमिक ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित श्रमिकों को भुगतान किया जायेगा।
- 40.5 श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में सामान्यतः एक से अधिक पाली में निरन्तर कार्य पर रखने पर नियमानुसार पारिश्रमिक भुगतान करना होगा। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिकों की पाली नियमानुसार बदले। ऐसा नहीं पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शांति अधिरोपित की जावेगी।
- 40.6 श्रमिक ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि श्रमिक कार्य हेतु उपलब्ध कराए जा रहे श्रमिकों (उच्च कुशल/कुशल/अर्धकुशल/अकुशल) निविदा में निर्धारित शर्तों व मापदण्डों के अनुरूप हो।

- 40.7 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए प्रत्येक श्रमिकों का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन रिकार्ड हेतु उसे दुग्ध संघ में उपलब्ध कराया जाएगा।
- 40.8 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए प्रत्येक श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा एवं उसकी एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
- 40.9 यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।
- 40.10 श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न विवाद/समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
- 40.11 किसी श्रमिक के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर श्रमिक ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापना उपलब्ध कराना होगा।
- 40.12 श्रमिक ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 15 दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो उसके द्वारा नियोजित किए गए हैं के लिए वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कंपनी से प्रति श्रमिक रु. 2,00,000/—(दो लाख रुपये) की दुर्घटना समूह पालिसी लेनी होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पालिसी का श्रमिक ठेकेदार को अनुबंध अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। अनुबंध अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरन्त कराना होगा। इस हेतु बीमा पालिसी की प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जाएगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसी स्थिति में वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण व्यय श्रमिक ठेकेदार को देना होगा। इस संबंध में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 40.13 नवीन श्रम संहिता के प्रावधान अनुसार ठेका श्रमिकों की उपदान राशि के भुगतान हेतु शासकीय बीमा कंपनियों से नियमानुसार प्रावधान करना अनिवार्य होगा। उक्त बीमा कंपनियों के प्रीमियम राशि का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा ठेका प्रदाता फर्म के द्वारा प्रस्तुत रसीद अनुसार किया जाएगा।
- 40.14 श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होंगे। श्रमिकों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उसके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो। यदि कोई श्रमिक मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करते, अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करते पाया जाता है अथवा दुग्ध संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो श्रमिक ठेकेदार को ऐसे श्रमिक को तत्काल कार्य से पृथक करना होगा। श्रमिक ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक प्रवृत्ति, सजायाफ्ता, असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर नहीं रहें। अगर ऐसा पाया जाता है तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किए जाने पर प्रति श्रमिक राशि रु.1000/—का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाएगा।
- 40.15 प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जांच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जांच कराना अनिवार्य होगा।) तथा तदसंबंधि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाए गए श्रमिकों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एन्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जाएगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूट तथा अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधाएं ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो उसकी राशि श्रमिक ठेकेदार से वसूली योग्य होगी तथा आर्थिक दण्ड राशि रु.5000/—प्रति श्रमिक भी अधिरोपित किया जाएगा।
- 40.16 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा किसी भी कारणवश किसी भी श्रमिक को कार्य से पृथक किया जाता है अथवा नए श्रमिक रखे जाते हैं तो इसकी पूर्व सूचना एवं अनुमति श्रमिक ठेकेदार को दुग्ध संघ से प्राप्त करना

अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसा नहीं करते पाए जाने पर दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरि एवं श्रमिक ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

- 40.17 श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिकों के नाम से ईपीएफ एवं ईएसआई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ईपीएफ/ईएसआई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ईपीएफ/ईएसआई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक सीधा भुगतान किया जा सके। श्रमिक ठेकेदार को दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र तथा मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त शीतकेन्द्र में लगाए गए श्रमिकों का पृथक-पृथक चालान प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ द्वारा उक्त चालानों के माध्यम से जमा की गई श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई कर्मचारी अंशदान की राशि का कटौती श्रमिक ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छ:माही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची के सहित दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ईपीएफ/ईएसआई अंशदान जमा करने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जाना होगी कि "इस चालान द्वारा माह.....में उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/शीतकेन्द्र को प्रदाय किये गये कुल..... (संख्या) श्रमिकों का ईपीएफ/ईएसआई अंशदान (.....प्रतिशत) राशि रु.. जमा कराया जाना है तथा किसी भी श्रमिकों का नाम छोड़ा नहीं गया है, तथा निर्धारित राशि वास्तविक रूप से दर्शाई गई है" इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा। ईपीएफ एवं ईएसआई के कटौती का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेखित करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को सर्विस चार्ज का ही भुगतान किया जावेगा।
- 40.18 श्रमिक ठेकेदार को ईपीएफ एवं ईएसआई अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु. 100000/-प्रतिमाह तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किए जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संबंध में श्रमिक ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ईपीएफ एवं ईएसआई अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ईपीएफ एवं ईएसआई अंशदान जमा करने में विलंब होता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।
- 40.19 श्रमिकों को देय ईपीएफ एवं ईएसआई की राशियों के जनरेट किए गए चालानों में राशि निर्धारित से कम पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित की गई समयसीमा में ईपीएफ/ईएसआई की कम जमा की गई राशि (ब्याज एवं डेमेज राशि सहित) के चालान जनरेट कर, दुग्ध संघ को श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कर राशि जमा कराया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर काली सूची में नाम दर्ज किया जावेगा साथ ही श्रमिक ठेकेदार की जमा सुरक्षा निधि/लंबित देयक/देयकों की राशि रोककर संबंधित संस्थानों को श्रमिक ठेकेदार के ईपीएफ एवं ईएसआई का रजिस्ट्रेशन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- 40.20 ठेका श्रमिक (विनियम और उपादान) अधिनियम 1970 के अंतर्गत श्रमिक ठेकेदार के पास दुग्ध संघ में उपलब्ध कराये गये समस्त श्रमिकों की संख्या के अनुसार पंजीयन होना आवश्यक है तथा श्रमिक ठेकेदार को प्रतिवर्ष उक्त पंजीयन का नवीनीकरण कराकर दुग्ध संघ कार्यालय में एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

41. शास्ति / अर्थदण्ड—

- 41.1 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा प्री-पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेट्स या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीड़े/मकौड़े/बाल/काँच का टुकड़ा आदि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही दुग्ध संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।

42. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेंसियों से पृथक-पृथक स्थितिवार की जावेगी :—

- 42.1 दुग्ध को संबंधित पैकेजिंग मशीन से पैकिंग उपरांत कोल्ड रूम में शिफ्ट करना एवं वितरण के समय संबंधित कोल्ड रूम से वितरण डॉक तक लाने में पूर्णतः श्रमिक ठेकेदार के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक की जवाबदारी होगी। यदि क्रेट्स में निर्धारित क्षमता (1 लीटर के 12 पैकेट, 500 एमएल के 24 पैकेट एवं 200 एमएल के 60 पैकेट) से अधिक दूध पैकेट पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक पाए गए दूध पैकेट की 20 गुना दण्ड श्रमिक ठेकेदार पर लगाया जाएगा।
- 42.2 वाहन में परिवहन के लिए डेयरी डॉक से वाहन पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डॉक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में “दूध एवं दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली 03 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक/वितरक-सहपरिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूली की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों एजेंसियों (पक्षों) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधन/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं। उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।
- 42.3 दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात् डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिंग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद दुग्ध संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शाए गए मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के अधिक पैकेट पाए जाने पर दो एजेंसी यथा वितरक-सहपरिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता व डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य दुग्ध संयंत्र/शीतकेन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दूध एवं दुग्ध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली दो पार्टियों क्रमशः वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी के समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जाएगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक

क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों एजेंसियों (पक्षों) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधन/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

43. श्रमिक ठेकेदार को सौपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा/अनुबंध की शर्तों का समय-समय पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश क्रियान्वयन में विलंब होता है, सेवा प्रदाय करने में विफल होता है तो ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त करते हुए व एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जायेगा। दुग्ध संघ अपने स्रोत या अन्य ठेकेदार से श्रमिक को रखा जाकर उनसे कार्य लिया जाकर मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात् कार्य पर जो भी खर्च/व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से की जाकर निम्नानुसार अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा। इस हेतु फर्म की सहमति होगी।

क्र.	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि रु.
1	एक माह तक	लागत का 1 प्रतिशत
2	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत
3	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत

44. ठेके पर रखे गये श्रमिकों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की संपत्ति का नुकसान होना—

- 44.1 श्रमिक ठेकेदार को किसी भी श्रमिक को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने या दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति देना होगी। इस हेतु सम्पूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों में उद्भूत विधिक मामलों में भी दुग्ध संघ का दायित्व नहीं होगा।
- 44.2 श्रमिक ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
- 44.3 श्रमिक ठेकेदार के अधीनस्थ सुरक्षाकर्मियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एवं कारखाना अधिनियम 1948 के समस्त प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 44.4 श्रमिक ठेकेदार को स्थानीय श्रमायुक्त कार्यालय से अनुज्ञा प्राप्त कर समन्वय की कार्यवाही संपादित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 44.5 उपरोक्त समस्त शर्तों के साथ ही भारत सरकार/श्रम मंत्रालय/म.प्र. शासन/क्षेत्रीय श्रमायुक्त कार्यालय के द्वारा श्रमिकों के हित में समय-समय पर जारी किए जाने वाले प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा एवं आवश्यक संशोधन/शर्तें तत्समय कार्यादेश में सम्मिलित की जावेगी जो कि मूल निविदा का भाग माना जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मकसी रोड़, उज्जैन म.प्र. 456010

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी है। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर मय सील

स्थान :— नाम

दिनांक :— पत्राचार हेतु पता

दूरभाष/मो.नं.

कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
“भाव पत्र/दर”

(अ) निम्न मदों में दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :-

क्र.	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रु.100000/-प्रति श्रमिक)
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान

नोट:-

1	श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि के अनुसार ठेकेदार को संयंत्र में लगाये गये श्रमिकों के मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
2	“अ” मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) निम्नलिखित मदों में अंशदान राशि जमा कराने का प्रावधान निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
3	जी.एस.टी. अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें, जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा—(केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें। यदि किसी निविदाकार द्वारा ऑफलाइन भाव दर प्रस्तुत की जाती हैं, तो उस निविदाकार को निविदा हेतु अपात्र माना जावेगा)

क्र.	विवरण	समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की सत्यापित देयक राशि पर प्रतिशत में।
1	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	
नोट—सर्विस चार्ज केवल प्रतिशत में ही दर्ज करें। प्रतिशत का केवल अंक लिखें। प्रतिशत का चिन्ह न लगायें।		

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :—
दिनांक :—

नाम
पत्राचार हेतु पता
.....
दूरभाष / मो.नं
.....

कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

श्रमिकों को मजदूरी भुगतान शर्त क्रमांक-39 के अंतर्गत उपकंडिका क्रमांक 39.1 के अनुसार

श्रमिकों का वेतन भुगतान पत्रक, माह.....वर्ष.....

क्र.	श्रमिक का नाम	आधार कार्ड का नम्बर	ई.पी.एफ. खाता नम्बर	ई.एस.आई. खाता नम्बर	मस्टररोल के आधार पर माह में सत्यापित कार्य दिवस	प्रतिदिन भुगतान की दर
1	2	3	4	5	6	7

कुल मासिक वेतन	कर्मचारी के ई.पी. एफ. अंशदान की राशि	कर्मचारी के ई. एस.आई. अंशदान की राशि	अन्य कटौती	कुल कटौती की राशि	बैंक खाता नम्बर व बैंक का नाम	कुल कटौती के उपरांत शेष कुल वेतन
8	9	10	11	12	13	14

कुल..... राशि श्रमिकों के वेतन बैंक खातों में भुगतान करने का कष्ट कर बिलों/अग्रिम से समायोजित करें।

नाम.....

हस्ताक्षर.....

सील.....

दिनांक—.....

स्थान.....

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु निवासी
 यह कि मेरे/हमारे द्वारा श्रमिक ठेका कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म..... जिसका मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय/पुलिस थाने में दर्ज किसी आपराधिक प्रकरण के तारतम्य में सक्षम न्यायालय में केस चालान/चार्जशीट में दोषी नहीं पाया गया है एवं न ही कोई प्रकरण दर्ज/विचाराधीन हैं।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता
नाम—

1. गवाह

हस्ताक्षर

नाम:—.....

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

2. गवाह

हस्ताक्षर

नाम:—.....

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 से 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु निवासी
 यह कि मेरे/हमारे द्वारा श्रमिक ठेका कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म..... जिसका मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध एम.पी.सी.डी. एफ./इंदौर/भोपाल/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड/जबलपुर सहकारी दुग्ध संघों में ई. पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी./आयकर का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं हैं।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता
नाम—

1. गवाह
हस्ताक्षर
नाम:—.....
पता:—
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....
2. गवाह
हस्ताक्षर
नाम:—.....
पता:—
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता
सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 से 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

शपथ पत्र का प्रारूप
(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु निवासी
..... यह कि मेरे/हमारे द्वारा श्रमिक ठेका कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म..... जिसका मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ./दुग्ध संघ द्वारा तीन वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) में काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता
नाम—

1. गवाह
हस्ताक्षर
नाम:—.....
पता:—
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....
2. गवाह
हस्ताक्षर
नाम:—.....
पता:—
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 से 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

क्र.	विवरण	ठेका श्रमिकों की प्रतिदिन अनुमानित संख्या
1	मुख्य संयंत्र, उज्जैन	345
2	दुग्ध संयंत्र, रतलाम	35
3	दुग्ध संयंत्र, मंदसौर	30
4	दुग्ध शीतकेन्द्र, आगर	10
5	दुग्ध शीतकेन्द्र, शाजापुर	05
6	दुग्ध शीतकेन्द्र, शामगढ़	10
7	दुग्ध शीतकेन्द्र, मनासा	10
कुल		445

ठेका श्रमिकों की संख्या में कार्य की आवश्यकता के अनुसार कमी/वृद्धि हो सकती हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़. उज्जैन म.प्र. 456010